The Delhi Appropriation (No. 1) Bill, 2015

THE DELHI APPROPRIATION (NO. 1) BILL, 2015

(As introduced in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 24th March, 2015)

L.R. GARG Secretary Delhi Legislative Assembly OLD Sectt. Delhi-110054

THE DELHI APPROPRIATION (NO.1) BILL, 2015

A

BILL

to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the services in respect of the financial year 2014-15.

Be it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixty sixth Year of the Republic of India as follows:-

Short title.

1. This Act may be called the Delhi Appropriation (No.1) Act, 2015.

issue of

Rs.351,98,16,000/- from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the financial year 2014-2015.

2. From and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, there may be paid and applied further sums not exceeding those specified in column (5) of the Schedule, amounting in the aggregate to the sum of rupees three hundred fifty one crore ninety eight lac sixteen thousand only towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 2014-2015 in respect of the services specified in column (2) of the Schedule.

Appropriation.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.



THE SCHEDULE (See section 2 and 3)

(Rs. In thousands) SUMS NOT EXCEEDING Services and Purposes Demand Voted by the Charged on the Total No. Legislative Consolidated Assembly Fund 1 2 3 4 5 2 General Administration Revenue 153850 550 154400 3 Administrative of Justice Revenue 858660 00 858660 4 Finance Revenue 400 00 400 5 Home Revenue 81700 00 81700 6 Education Revenue 2600 50 2650 7 Medical and Public Health Revenue 1750 00 1750 8 Social Welfare Revenue 2349000 00 2349000 Capital 500 00 500 9 Industries Revenue 400 8156 8556 10 Development Revenue 800 00 800 Capital 100 1300 1400 11 Urban Development and Revenue 2400 00 2400 Public Works Capital 57300 00 57300 PD Public Debt. Revenue 00 100 100 Capital 00 200 200 Total 3509460 10356 3519816



STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Delhi Appropriation (No.1) Bill,2015 is introduced in pursuance of sub-section (I) of section 29 read with clause (a) of sub-section (I) of section 30 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act,1991 (1 of 1992) to provide for the appropriation out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, of the moneys required to meet the additional expenditure charged on the Consolidated Fund and the supplementary grants made by the Legislative Assembly for the expenditure of Government of National Capital Territory of Delhi for the financial year 2014-2015.

(Manish Sisodia) Finance Minister/Dy.Chief Minister

Delhi, March 24, 2015



MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

The Delhi Appropriation (No.1) Bill, 2015 does not seek to confer any additional power of legislation on any subordinate functionaries.



दिल्ली विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 2015

(जैसा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में दिनांक 24 मार्च, 2015 को पुरःस्थापित किया गया)

> पुल. आर. गर्ग सचिव दिल्ली विधान सभा पुराना सचिवालय, दिल्ली-54

दिल्ली विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 2015

वर्ष 2014—2015 से संबंधित कार्यों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से भुगतान प्राधिकृत करने तथा कुछ और राशि का विनियोजन करने के लिए एक विधेयक।

भारत गणराज्य के छियासठवे वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त शीर्षक।

- इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली विनियोग (संख्या 1) अधिनियम 2015 है।
- 351,98,16,000 / रुपयों का वर्ष 2014—2015 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त ।
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त राशि जो अनुसूची के कालम (5) में विनिर्दिष्ट से अधिक नहीं, जो कुछ प्रभारों की अदायगी के लिए तीन सौ इक्यावन करोड अठानवे लाख सोलह हजार रुपयों की कुल राशि के बराबर है, जो अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट कार्यों के सम्बन्ध में वर्ष 2014—2015 की अवधि के दौरान भुगतान के रुप में प्रयुक्त होगी।

विनियोजन।

3. इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त किए जाने के लिए प्राधिकृत राशि उक्त अवधि के सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित कार्यों और उद्देश्यों के लिए विनियोजित की जायेगी।



अनुसूची (धारा 2 और धारा 3 देखिए)

(रुपये हजारो मे)

		निम्नलिखित से अनाधिक राशियां			
अनुदान संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन		विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
1	2		3	4	5
2	साधारण प्रशासन	राजस्व	153850	550	154400
3	न्याय प्रशासन	राजस्व	858660	00	858660
4	वित्त	राजस्व	400	00	400
5	गृह	राजस्व	81700	00	81700
6	शिक्षा	राजस्व	2600	50	2650
7	चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	राजस्व	1750	00	1750
8	सामाजिक कल्याण	राजस्व पूंजी	2349000 500	00 00	2349000 500
9	उद्योग	राजस्व	400	8156	8556
10	विकास	राजस्व पूंजी	800 100	00 1300	800 1400
11	शहरी विकास और लोक निर्माण	राजस्व पूंजी	2400 57300	00 00	2400 57300
, g ¹	लोक ऋण	राजस्व पूंजी	00 00	100 200	100
	योग		3509460	10356	3519816



उद्देश्यों और कारणों का विवरण

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 (1992 का 1) की धारा 29 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 30(1)(क) में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा पारित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि पर भारित व्यय को वहन करने के लिए आवश्यक घनराशि के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से विनियोजन की व्यवस्था के लिए दिल्ली विनियोग (संख्या 1) अधिनियम 2015, विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है।

(मनीष सिसोदिया) वित्तमंत्री / उप-मुख्य मंत्री

दिल्ली 24 मार्च, 2015



विधायी शक्ति प्रदान करने संबंधी ज्ञापन

दिल्ली विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 2015 का उद्देश्य किसी अधीनस्थ अधिकारी को अतिरिक्त विधायी शक्ति प्रदान करना नहीं है।

